#1319

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर ,कपासन जिला – चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी , ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ---रूपाखेड़ी---

धारा अन्तर्गत – 136 प्र.सं. 1039 दायर दिनांक 9/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25

क्र.स..	नाम- ग्राम	खाता	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	रूपाखेड़ी	59	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम रूपाखेड़ी प.ह. ---------- खातासं 59 में वर्तमान् प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ बीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी		
			स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया		
			हस्ताक्षर पटवारी 9/10/25 पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर ILR धरियाम	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनार्थः–

1. पटवारी पटवार मण्डल ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (भू.अ.)
कपासन जिला चित्तौडगढ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़